म.प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक
(दिनांक 13.08.2024)

कार्यवाही विवरण

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक माननीय मंत्रीजी पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन एवं अध्यक्ष राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 13-08-2024 को मंत्रालय, वल्लभ भवन में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है –

1. श्री रामनिवास रावत, माननीय मंत्री जी पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन – **अध्यक्ष**
2. श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग **– सदस्य**
3. श्री सुदीप सिंह, सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड - **सदस्य**
4. श्री श्रीकांत बनोठ, आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग) **– सदस्य**
5. श्री अतुल कुमार मिश्रा, सचिव, वन विभाग (प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वन विभाग) –**सदस्य**
6. श्री हरेन्द्र नारायण, आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल **(विशेष आमंत्रित सदस्य)**
7. श्री संजय कुमार, अपर सचिव, राजस्व विभाग (प्रतिनिधि – प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग) **– सदस्य**
8. श्री रवि कुमार गजभिये, संचालक (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग) –**सदस्य**
9. श्री अच्युत मिश्रा, सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल **- सदस्य**
10. श्री राकेश कुशरे, उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास (प्रतिनिधि - अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास) –**सदस्य**
11. डॉ. कपिल खरे, वरि. प्रधान वैज्ञानिक (प्रतिनिधि– महानिदेशक, MPCOST) – **सदस्य**
12. श्री राजा सेखर रत्ती, वैज्ञानिक–ई (प्रतिनिधि- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल) - **सदस्य**
13. सुश्री पूर्वी तिवारी, डिप्टी कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी **(विशेष आमंत्रित सदस्य)** प्रतिनिधि–जिला कलेक्टर, सिवनी
14. श्री विवेश कुमार जैन, कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, इंदौर **(विशेष आमंत्रित सदस्य)** प्रतिनिधि–आयुक्त नगर पालिक निगम, इंदौर
15. कार्यपालन संचालक, एप्को - **सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण**

बैठक के प्रारंभ में पर्यावरण विभाग की ओर से प्रमुख सचिव, श्री गुलशन बामरा ने माननीय मंत्री जी एवं अध्यक्ष म.प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एवं सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग म.प्र. शासन द्वारा प्राधिकरण के कार्यों एवं उद्देश्यों के बारे में अवगत किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी द्वारा राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के प्रतीक चिन्ह (logo) का विमोचन एवं लोकार्पण किया गया। प्रतीक चिन्ह के चयन हेतु राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा प्रतियोगिता के माध्यम से प्रविष्टियां आमंत्रित की गयी थीं एवं एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा श्रेष्ठ प्रतीक चिन्ह का चयन किया गया। श्री शफा एस. मावल द्वारा डिजाइन किए गए प्रतीक चिन्ह को समिति द्वारा प्रथम पुरूस्कार रू. 50000/- की राशि एवं श्री अबीनो साइमन को द्वितीय पुरूस्कार 25000/- की राशि हेतु अनुशंसित किया गया।

सम्मानीय सदस्यों द्वारा परस्पर परिचय पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा चतुर्थ बैठक का कार्यसूचीवार प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में संपन्न कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

एजेण्डा- 4.1 तृतीय बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 12.07.2023 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत किया गया।

निर्णय - माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों की तृतीय बैठक कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा- 4.2 तृतीय बैठक के निर्देशों का पालन प्रतिवेदन।

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की तृतीय बैठक के निर्देशों के पालन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन से प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत किया गया।

निर्णय– पालन प्रतिवेदन का प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा- 4.3 महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण।

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की तृतीय बैठक (12.07.2023) के उपरांत प्राधिकरण द्वारा किये गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त विवरण माननीय अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय मंत्री जी एवं अध्यक्ष महोदय तथा सभी सदस्यों ने तृतीय बैठक के उपरांत प्राधिकरण द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों एवं प्राप्त उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया।

निर्णय - महत्वपूर्ण कार्यों से प्राधिकरण के सदस्य अवगत हुए एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गयी।

एजेण्डा- 4.4 VIP रोड विस्तारीकरण प्रस्ताव के संबंध में तृतीय बैठक के कार्यवाही विवरण पर सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों पर चर्चा।

बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की 12.07.2023 को आयोजित तृतीय बैठक के कार्यवाही विवरण पर प्राधिकरण में मनोनीत सदस्यों क्रमश: श्री अभिलाष खाण्डेकर, श्री सौरभ पोपली एवं श्री श्रीनिवास मूर्ति द्वारा अतिरिक्त एजेंडा के रूप में शामिल किये गये एजेंडा क्र. 3.10 (II) म. प्र. सड़क विकास निगम द्वारा प्रेषित वीआईपी रोड विस्तारीकरण प्रस्ताव पर बैठक में असहमति व्यक्त की गयी।

प्राधिकरण की बैठक में प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत किया गया कि नियमानुसार प्रकरण राज्य शासन को प्रेषित किया गया। राज्य शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा प्रस्ताव राष्ट्रीय वेटलैंड समिति को प्रेषित किया गया। भारत सरकार, MoEFCC द्वारा वेटलैण्ड नियम की मार्गदर्शिका की कंडिका 47 अनुसार संशोधित प्रस्ताव

परामुर्श के दृष्टिगत राज्य शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा पत्र दिनांक 05.06.2024 को पुनः भारत सरकार, MoEF&CC को प्रेषित किया गया है। इस प्रकरण में अंतिम निर्णय MoEFCC के सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय वेटलैंड समिति द्वारा लिया जाना है।

निर्णय - प्राधिकरण के मान. अध्यक्ष एवं सदस्य वस्तुस्थिति से अवगत हुए।

एजेण्डा- 4.5 प्राधिकरण के समस्त न्यायालयीन प्रकरण एवं प्राप्त शिकायतों की वस्तुस्थिति से अवगत करना।

बैठक में सदस्य सचिव द्वारा प्रदेश में स्थित वेटलैंड्स/तालाबों से सम्बंधित विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित कुल 12 प्रचलित प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत की गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय (01), माननीय उच्च न्यायालय (03) एवं माननीय NGT, भोपाल (08) में विचाराधीन प्रकरणों में की गयी कार्यवाही एवं वस्तुस्थिति से अवगत किया गया।

न्यायालीन प्रकरणों के अतिरिक्त भोज वेटलैंड भोपाल एवं अन्य तालाबों से सम्बंधित तृतीय बैठक उपरांत कुल 41 अलग-अलग शिकायत/ज्ञापन/आवेदन की वस्तुस्थिति एवं की गयी कार्यवाही से अवगत किया गया।

निर्णय - प्राधिकरण के मान. अध्यक्ष एवं सदस्य वस्तुस्थिति से अवगत हुए।

एजेण्डा- 4.6 सिरपुर वेटलैण्ड (रामसर साइट), इन्दौर के संरक्षण हेतु एकीकृत प्रबंधन योजना को राज्य शासन के माध्यम से MoEFCC, भारत सरकार को प्रेषित करने का अनुमोदन।

सदस्य सचिव द्वारा सिरपुर वेटलैण्ड एकीकृत प्रबंधन परियोजना जो राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से नगर निगम, इन्दौर द्वारा तैयार की गयी है, उसकी जानकारी प्रस्तुत की गयी। परियोजना की प्रस्तावित कुल लागत 61.95 करोड है एवं योजना में 60% राशि केन्द्र शासन एवं 40% राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि परियोजना में राज्यांश 40% राशि रु. 2478.28 लाख वहन करने संबंधी सहमति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी। मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन अनुसार परियोजना भारत सरकार MoEF&CC को NPCA योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गयी।

निर्णय - प्राधिकरण के मान. अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा परियोजना का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा- 4.7 नगर पालिका सिवनी स्थित दल सागर तालाब के प्रस्ताव पर चर्चा

नगर पालिका, सिवनी द्वारा दल सागर तालाब में फुट ब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फाउन्टेन आदि हेतु वेटलैण्ड नियम 2017 के पैरा 4 की शर्तों में छूट प्रदान करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। सदस्य सचिव, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा अवगत किया गया कि दल सागर तालाब उन चिन्हित वेटलैंड्स में सम्मिलित है जिनका क्षेत्रफल >2.25 हैक्टेयर से ज्यादा है। दल सागर तालाब का क्षेत्रफल 18.31 हैक्टेयर है। भारत सरकार के OM दिनांक 08.03.2022 के अनुसार वेटलैण्ड नियम, 2017 की धारा 4 में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियां उन वेटलैण्ड्स, जिनका क्षेत्रफल >2.25 हैक्टेयर से ज्यादा है, पर लागू है। बैठक में जिला सिवनी से उपस्थित सदस्यों द्वारा भी प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत किया कि प्रकरण अभी माननीय एनजीटी में विचाराधीन है एवं संयुक्त

समिति का गठन किया गया है, जो माननीय एनजीटी के निर्देशानुसार Action Taken Report (ATR) प्रस्तुत करेगी। माननीय सदस्यों द्वारा जिला प्रशासन को माननीय एनजीटी के निर्देशों का पालन करने संबंधी सुझाव दिये गये।

निर्णय - मान. अध्यक्ष महोदय तथा प्राधिकरण के सदस्य प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत हुए।

एजेण्डा–4.8 सिरपुर वेटलैण्ड, रामसर साइट, इंदौर में तितली पार्क के निर्माण के संबंध में चर्चा।

नगर निगम, इंदौर से तितली पार्क के अस्थायी निर्माण कार्य किये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त तितली पार्क निर्माण का उद्देश्य तितलियों के संबंध में शोध के माध्यम से जानकारी एकत्र कर शोधार्थियों को उपलब्ध कराने के साथ ही तितलियों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाना है।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं प्राधिकरण के सम्मानित सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार नगर निगम, इंदौर द्वारा कार्यवाही की जावे एवं उसके बाद तकनीकी समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव पुन: प्राधिकरण की आगामी बैठक में चर्चा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्णय - मान. अध्यक्ष महोदय तथा प्राधिकरण के सदस्य प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत हुए एवं तकनीकी समिति की अनुसंशा अनुसार नगर निगम, इंदौर द्वारा कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा -4.9 सिरपुर वेटलैण्ड की अधिसूचना हेतु संक्षिप्त प्रतिवेदन का अनुमोदन

वेटलैंड नियम 2017 अनुसार संक्षिप्त प्रतिवेदन (Brief Document) ZoI के मानचित्र सहित प्रस्ताव राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्राप्त हुआ। प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा संक्षिप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं तकनीकी समिति की अनुसंशा अनुसार सिरपुर वेटलैंड को वेटलैण्ड नियम, 2017 अनुसार अधिसूचित किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं वेटलैंड नियम अनुसार आगामी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

निर्णय – मान. अध्यक्ष महोदय तथा प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा सिरपुर वेटलैण्ड की अधिसूचना हेतु संक्षिप्त प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा- 4.10 वेटलैण्ड नियम '4' के पालन हेतु MoEFCC द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन

वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के नियम 4 में वेटलैण्ड संरक्षण के संबंध में प्रतिबंधात्मक एवं निषेधात्मक गतिविधियों के संबंध में MoEFCC द्वारा 08 मार्च 2022 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेशानुसार सभी 201503 वेटलैण्ड जिनका भारत सरकार द्वारा प्रलेखन किया गया है तथा जिनका क्षेत्रफल National Wetland Inventory Assessment के अनुसार 2.25 हैक्टेयर से ज्यादा है को वेटलैण्ड नियम के नियम 4 के प्रावधान के अनुसार संरक्षित किया जाना है।

सदस्य सचिव राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त के पालन में अवगत किया कि राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नगर पालिका एवं विभागाध्यक्षों को इस आदेश के संबंध में सूचित है कि मध्य प्रदेश स्थित वेटलैंड जिनका 2.25 हैक्टेयर से ज्यादा है, उन सभी पर

वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के नियम 4 का पालन करने संबंधी कार्यवाही की जाये। मान. अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों द्वारा सुझाव दिया कि वेटलैंड के 50 मीटर बफर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

निर्णय – मान. अध्यक्ष महोदय तथा प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा वेटलैण्ड नियम '4' के पालन हेतु की जा रही कार्यवाही से अवगत हुए ।

एजेण्डा – 4.11 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु/निर्देश

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये -

i. माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि तालाबों के संरक्षण हेतु सीवेज से होने वाले प्रदूषण एवं जलकुम्भी की रोकथाम अत्यावश्यक है अत: ग्राम पंचायत, नगर परिषद/नगर पालिका परिषद/नगर निगमों की सीमा क्षेत्र में कहां - कहां से सीवेज का पानी किन तालाब / नदी में जा रहा है, की अद्यतन जानकारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं ग्रामीण विकास विकास विभाग से प्राप्त की जावे एवं इसके रोकथाम हेतु संबंधित निकायों / विभागों से समन्वय कर आवश्यक उपाय किये जायें।

ii. तालाबों में जलकुम्भी की रोकथाम हेतु सम्बंधित विभागों/निकायों को आवश्यक निर्देश भी जारी करें एवं समन्वय कर उन्मूलन के समुचित प्रयास किये जायें।

iii. बैठक में उपस्थित मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव, श्री सुदीप सिंह ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बताया कि सिरपुर वेटलैण्ड, इन्दौर जो कि एक रामसर साइट है को वन विभाग के जैव विविधता अधिनियम के तहत बायोडायवर्सिटी हैरिटेज साइट घोषित किया है। इसी तरह भोज वेटलैण्ड, भोपाल जो कि एक रामसर साइट है एवं जैव विविधत की दृष्टि से समृद्ध है को भी बायोडायवर्सिटी हैरिटेज साइट के रूप में घोषित किया जा सकता है। इस हेतु नगर निगम, भोपाल से प्रस्ताव वांछित है। इस प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं नगर निगम, भोपाल को निर्देश दिया गया कि वे एक आवश्यक प्रस्ताव राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के माध्यम से जैव विविधता बोर्ड को प्रेषित करें।

iv. वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय निकायों के सहयोग से “एक पेड़ माँ के नाम अभियान” अंतर्गत प्रदेश के तालाबों के 50 मीटर बफर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाये।

v. आगामी विश्व वेटलैण्ड्स दिवस 02 फरवरी 2025 को व्यापक एवं वृहद स्तर पर मनाया जाए तथा प्रदेश के सभी जिलों में तालाब संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जावे ।

म. प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने प्राधिकरण द्वारा अभी तक किये गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया एवं किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष एवं सम्मानीय सदस्यगणों के प्रति आभार प्रदर्शन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(डॉ. सत्योत्री सिडाना)
सदस्य सचिव
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण

सदस्य सचिव,
म. प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण,
एप्को, पर्यावरण बिभाग, म.प्र. शासन